

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 510/2023

अनवान : -

1. चम्पा लाल पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. भीम राज मेघवाल पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. रामजी पुत्र पदमा पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. पृथ्वीराज पुत्र पदमा पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र पदमा पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. विद्या पुत्री पदमा पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
6. भागा देवी पुत्री गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
7. मनीषा पुत्री गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
8. परमानन्द पुत्र गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
9. पवन कुमार पुत्र गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
10. परमेश्वरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
11. सुलेन्द्र पुत्र बिमला उर्फ छोटकी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
12. दयाराम पुत्र बिमला उर्फ छोटकी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
13. सुनिता पुत्री बिमला उर्फ छोटकी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
14. राजेराम पुत्र सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
15. अर्जुन राम पुत्र सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. गुड्डी पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
17. कमला पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
18. चम्पा देवी पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
19. गीता पुत्री सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।



20. पवन कुमार पुत्र सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
21. अल्का पुत्री पुत्री सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
22. प्रियंका पुत्री पुत्री सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
23. चन्द्र कांता पुत्री पुत्री सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
24. सोना देवी पत्नी ओम प्रकाश पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
25. माया पुत्री ओम प्रकाश पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
26. तारामणी पुत्री ओम प्रकाश पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0

1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक: 19.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 75/72 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.6940 है0 भूमि मृतक तीजा पत्नी चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में से वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 जो कि वादीगण की मृतक बुआ पदमा देवी व सुरजी देवी के वारिसान है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा

उप सहायिकाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं० 1 ता 26 ने उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 75/72 प्रदर्श-1, हल्फनामा प्रदर्श-2, वारिसनामा प्रदर्श-3 व 4, पार्षद नगरपालिका नोहर वार्ड न० 26 द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श-5, मृत्यु प्रमाण पत्र ओमप्रकाश प्रदर्श-6, मृत्यु प्रमाण पत्र सुरजी प्रदर्श-7, मृत्यु प्रमाण पत्र सन्तारों देवी प्रदर्श-8, मृत्यु प्रमाण पत्र पदमा प्रदर्श-9, मृत्यु प्रमाण पत्र गिरदावरी-10, मृत्यु प्रमाण पत्र तीजा देवी प्रदर्श-11, पारिवारिक राजीनामा प्रदर्श-12 आदि प्रदर्शित करवायें। ईएक्सपी-12 राजीनामा इस आशय का पेश किया गया की उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 26 कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है उक्त वाद भूमि वादीगण के नाम बहिब दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 26 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 26 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है। वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 ता 26 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 75/72 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.6940 है० भूमि मृतक तीजा पत्नी चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तीजा पत्नी चुन्नीराम वादीगण की दादी है का देहान्त हो चुका है। वादीगण के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार तीजा पत्नी चुन्नीराम के जायज वारिसान

वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 26 है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 26 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है। उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 1 ता 26 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 26 को कोई एतराज नहीं है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 26 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 75/72 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.6940 है0 भूमि में से मृतक तीजा पत्नी चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 1.9.16.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-चक सरदारपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 510/2023

अनवान : -

1. चम्पा लाल पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. भीम राज मेघवाल पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. रामजी पुत्र पदमा पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. पृथ्वीराज पुत्र पदमा पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र पदमा पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. विद्या पुत्री पदमा पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
6. भागा देवी पुत्री गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
7. मनीषा पुत्री गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
8. परमानन्द पुत्र गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
9. पवन कुमार पुत्र गिदावरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
10. परमेश्वरी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
11. सुलेन्द्र पुत्र बिमला उर्फ छोटकी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
12. दयाराम पुत्र बिमला उर्फ छोटकी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
13. सुनिता पुत्री बिमला उर्फ छोटकी पुत्री पदमा जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
14. राजेराम पुत्र सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
15. अर्जुन राम पुत्र सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. गुड्डी पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
17. कमला पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
18. चम्पा देवी पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
19. गीता पुत्री सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
20. पवन कुमार पुत्र सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
21. अल्का पुत्री पुत्री सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
22. प्रियंका पुत्री पुत्री सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

23. चन्द्र कांता पुत्री पुत्री सन्तरो पुत्री सुरजी पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
24. सोना देवी पत्नी ओम प्रकाश पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
25. माया पुत्री ओम प्रकाश पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
26. तारामणी पुत्री ओम प्रकाश पुत्री तीजा देवी जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 510 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 75/72 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.6940 है० भूमि में से मृतक तीजा पत्नी चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब० हि० ब० का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक.....19.06.2023...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-चक सरदारपुरा